

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 56)

[29 दिसम्बर, 2007]

संविधान के अधीन गारंटीकृत और मान्यताप्राप्त माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरणपोषण तथा कल्याण के लिए अधिक प्रभावी उपबंधों का और उनसे संबंधित या उनके आनुयंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अधिकारों द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 है।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के नागरिकों को भी लागू होगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार लागू होना
और प्रारम्भ।

(3) यह किरी राज्य में, उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

परिचार।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बालक" के अंतर्गत पुत्र, पुत्री, पीत्र और पौत्री हैं, किंतु इसमें कोई अवयस्क सम्मिलित नहीं है;

(ख) "भरणपोषण" में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित है;

(ग) "अवयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 के उपबंधों के अधीन वह समझा जाता है कि उसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है;

1875 का 9

(घ) "माता-पिता" से पिता या माता अभिप्रेत है, चाहे वह, यथास्थिति, जैविक, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक है या नहीं;

(ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) "संपत्ति" से किसी प्रकार की संपत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह जंगम या स्थावर, पैदुक या स्वयं अर्जित, भूत या अमूर्त हो और जिसमें ऐसी संपत्ति में अधिकार या हित सम्मिलित है;

(छ) "नातेदार" से निःसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो अवयस्क नहीं है तथा उसकी भूत्यु के पश्चात् उसकी संपत्ति उसके कब्जे में है या विरासत में प्राप्त करेगा;

(ज) "वरिष्ठ नागरिक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष या अधिक आयु प्राप्त कर ली है;

(झ) किसी संघ राज्यसेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(ञ) "अधिकरण" से धारा 7 के अधीन गठित भरणपोषण अधिकरण अभिप्रेत है;

(ट) "कल्याण" से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, स्वास्थ्य देखरेख, आमोद-प्रमोद केन्द्रों और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव है।

3. इस अधिनियम के उपबंधों का, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किरी बात के होते हुए भी, प्रभाव होगा।

अध्याय 2

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण।

4. (1) कोई वरिष्ठ नागरिक, जिसके अनुर्गत माता-पिता है, जो स्वयं के अर्जन से या उसके स्वामित्वाधीन संपत्ति में से स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ है,—

(i) माता-पिता या पितामह-पितामही की दशा में, अपने एक या अधिक बालकों के विरुद्ध, जो अवयस्क नहीं हैं;

(ii) किसी निःसन्तान वरिष्ठ नागरिक की दशा में, अपने ऐसे नातेदार के विरुद्ध, जो धारा 2 के खंड (छ) में निर्दिष्ट है,

धारा 5 के अधीन कोई आवेदन करने का हकदार होगा।

(2) किसी वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करने के लिए, यथास्थिति, बालक या नातेदार की बाधता ऐसे नागरिक की आवश्यकताओं तक विस्तारित होती है, जिससे कि वरिष्ठ नागरिक एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सके।

(3) अपने माता-पिता का भरणपोषण करने की बालक की अध्यता, यथास्थिति, ऐसे माता-पिता अथवा पिता या माता की आवश्यकता तक विस्तारित होती है, जिससे कि ऐसे माता-पिता, सामान्य जीवन अद्यतेत कर सकें।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी वारिष्ठ नागरिक का नातेदार है और जिसके पास पर्याप्त साधन हैं, ऐसे वारिष्ठ नागरिक का भरणपोषण करेगा, परन्तु पह तब जब कि ऐसे वारिष्ठ नागरिक की संपत्ति उसके कब्जे में है या वह ऐसे वारिष्ठ नागरिक की संपत्ति को एक से अधिक नातेदार विस्तर में पाल करने के हकदार हैं, वहां भरणपोषण, ऐसे नातेदारों द्वारा उस अनुपात में संदेश होगा, जिसमें वे उसकी संपत्ति को विवासत में ग्रास करेंगे।

5. (1) धारा 4 के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन,—

(क) यथास्थिति, किसी वारिष्ठ नागरिक या किसी माता-पिता द्वारा किया जा सकेगा; या

(ख) यदि वह अवश्य है तो उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या संगठन द्वारा किया जा सकेगा; या

(ग) अधिकरण द्वारा प्रयोग से सहान दे सकेगा।

1860 का 21

समीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "संगठन" से सोमाइटी गणितीकरण अधिनियम, 1860 या तसम्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रिजिस्ट्रेशन कोई स्वैच्छक संगठन अभिप्रेत है।

(2) अधिकरण, इस धारा के अधीन भरणपोषण के लिए मालिक भते की बालक कार्यवाही के संवित रहने के द्वारा, ऐसे बालक या नातेदार को ऐसे वारिष्ठ नागरिक के जिसके अन्तर्गत माता-पिता भी हैं, अन्तरिम भरणपोषण के लिए भासिक भता देने और उसका ऐसे वारिष्ठ नागरिक को, जिसके अन्तर्गत माता-पिता भी हैं, संदाय करने का आदेश कर सकेगा, जो आवृद्धकरण समय-समय पर निवेशित करें।

(3) उपर्युक्त अधीन भरणपोषण के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, बालक या नातेदार को आवेदन की सूचना देने के प्रश्नाद, और प्रक्रकारी को सुनवाई का अवसर देने के प्रश्नाद, भरणपोषण की रकम का अवधारण करने के लिए कोई जोच कर सकेगा।

(4) भरणपोषण के लिए मालिक भते हेतु और कार्यवाही के खर्चे के लिए उपर्युक्त (2) के अधीन फाइल किए गए किसी आवेदन का, ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की तारीख से तारीख से नब्बे दिन के भीतर निपटन किया जाएगा :

परन्तु अधिकरण, आपवादिक परिस्थितियों में उक्त अवधि को, कारणों को लेखदाक करते हुए एक बार में तीस दिन की अधिकतम अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा।

(5) उपर्युक्त (1) के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन एक या अधिक व्यक्तियों के विलङ्घकाल किया जा सकेगा:

परन्तु ऐसे बालक या नातेदार भरणपोषण के लिए आवेदन में माता-पिता का भरणपोषण करने के लिए दायी अन्य व्यक्ति को प्रक्षकार बना सकेगा।

(6) जहां भरणपोषण का आदेश एक या अधिक व्यक्तियों के विलङ्घक किया गया था, वहां उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु से भरणपोषण का संदाय जाति रखने के अन्य व्यक्तियों के दायित्व पर प्रश्न नहीं पड़ेगा।

(7) भरणपोषण के लिए कोई ऐसा भता और कार्यवाही के खर्चे आदेश की तारीख से या यदि ऐसा आदेश किया जाता है, यथास्थिति, भरणपोषण या कार्यवाही के खर्चे, आवेदन की तारीख से संदेश होंगे।

(8) यदि ऐसे बालक या नातेदार, जिन्हें ऐसा आदेश दिया जाता है, भरणपोषण के बिना आदेश का प्राप्त होने में असफल रहते हैं, तो वोई ऐसा अधिकरण, आदेश के प्रत्येक भूग के लिए जुमनी का उद्धरण करने के लिए उपबंधित रीति में देय रकम के उदाहरण का बांट बांटी कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को, यथास्थिति, प्रत्येक मास के संपूर्ण भरणपोषण भते या उसके किसी भाग के लिए और कार्यवाही के खर्च के लिए ऐसे बांट के

निष्पादन के प्रस्ताव असंदर्भ रेख भाग के लिए कारवायास से, जो एक नास तक का हो सकेगा या नार्दि संदर्भ शीघ्र किया जाता है तो संदर्भ करने तक, इनमें से जो भी पूर्वत हो, दब्ल्यादिट कर सकेगा।

परन्तु इस धारा के अधीन शोध किसी रकम की बहुती के लिए कोई बाहर तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक उस तरीख से, जिसको यह रकम शोध हो जाती है, तोन मास की अवधि के भीतर उस रकम के उद्प्रहण के लिए अधिकारण की आवेदन नहीं किया जाएगा।

6. (1) धारा 5 के अधीन बालकों या नातेदारों के विलद किसी जिसे भै कार्यवाही शुरू की जा सकेगी,—

(क) जहां वह निवास करता है या उसने अंतिम घार निवास किया है; या

(ख) जहां बालक या नातेदार निवास करता है।

(2) धारा 5 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकारण, उस बालक या नातेदार, जिसके विलद आवेदन फाइल किया गया है, की उपस्थिति उपात्त करने के लिए आदेशिका जारी करेगा।

(3) बालक या नातेदार की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारण को दब्ल्यादिट क्या सहिता, 1973 1974 को 2 के अधीन यथावतविधि प्रथम बार न्यायिक विलदस्ट की शक्तियाँ होंगी।

(4) ऐसी कार्यवाहीहीनों के सभी साक्ष्य उस बालक या नातेदार की, जिसके विलद भरणपोषण के संदर्भ के लिए आदेश किया जाना प्रत्यावित है, उपस्थिति में लिए जाएंगे और समन यामलों के लिए विहित सीति में अधिस्तिवित किए जाएंगे:

परन्तु यदि अधिकारण का यह समाधान हो जाता है कि वह बालक या नातेदार जिसके विलद भरणपोषण के संदर्भ के लिए आदेश किया जाना प्रत्यावित है, जानवृकर रामाली से बच रहा है, या जानवृकर अधिकारण में उपस्थित होने की व्यवहा कर रहा है, तो अधिकारण मामले की एक पक्षीय रूप से सुनवाई करने और अवधारित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(5) जहां बालक या नातेदार घार से बाहर निवास कर रहा है, वहां अधिकारण द्वारा तमन ऐसे प्रायिकारी के ग्राम्यम से तामिल किए जाएंगे, जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निर्मित विनियोग करे।

(6) अधिकारण धारा 5 के अधीन आवेदन की सुनवाई करने से पूर्व उसे सुलह अधिकारी को नियमित कर सकेगा और ऐसा सुलह अधिकारी अपने निष्कर्षों को एक भास के भीतर प्रस्तुत करेगा और यदि सौहार्दपूर्ण सुलह हो गई है तो अधिकारण उस आशय का आदेश प्राप्त करेगा।

सम्बन्धिकारण—इस उपचार के प्रयोजनों के लिए "सुलह अधिकारी" से धारा 5 की उपचारा (1) के स्थानीकरण में नियमित कोई व्यक्ति या संगठन का प्रतिनिधि या धारा 18 की उपचारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिकारित भरणपोषण अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अधिकारण द्वारा नामिनियम कोई अन्य व्यक्ति अधिस्तिवित है।

7. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम में प्रांतंग की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, या उपन भी अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक उपचार के लिए एक या अधिक अधिकारी का, जो वह धारा 5 के अधीन भरणपोषण के आदेश के न्यायान्वयन और उसका विनियोग करने के लिए आवश्यक समझे, गठन करेगी।

(2) अधिकारण की अध्यक्षता राज्य के उपचार अधिकारी से अन्यून पांचवां लाइसेन्स की जाएगी।

(3) जहां, किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक अधिकारण गठित किए जाते हैं, वहां एक सरकार, साथरण या विशेष आदेश द्वारा, उनके बीच कारबाह के वितरण को विनियोगित कर सकेगी।

8. (1) अधिकारण, धारा 5 के अधीन कोई जो अधिकारी नहीं, ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस जांच की दरमा में सीधिकारण।

(2) अधिकारण को शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षीयों को होनिया करने तथा दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों को प्रकट करने का पता करने और उनको पेश करने के लिए बाल्य करने के प्रयोजन के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो विहित किए जाएं, सिविल आयाताय की सभी शक्तियाँ होंगी और अधिकारण दट प्रक्रिया सहित, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल आयाताय समझा 1974 का 2 जाएगा।

(3) इस निमित्त बनाए जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए, अधिकारण भणपोषण के लिए किसी दावे का न्यायालय करने और उसका विनियन करने के प्रयोजन के लिए, जांच करने में उसकी सहायता करने के लिए ऐसे किसी एक या अधिक व्यक्तियों को उन समें, जिनके पास जांच से सुरक्षित किसी विषय का विशेष जान हो।

9. (1) यदि, याचास्थिति, बालक या नालेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं अपना भणपोषण करने में असमर्थ है, भणपोषण करने से उपेक्षा या इनकार करते हैं तो अधिकारण, ऐसी उमेशा या इनकार के बारे में सम्बाध हो जाने पर, ऐसे बालकों या नालेदारों को ऐसे वरिष्ठ नागरिक के भणपोषण के लिए ऐसी भासिक दर पर भासिक भत्ता देने का, जो अधिकारण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिक को उस भत्ते का संदाय करने का आदेश दे सकेगा जो अधिकारण समय-समय पर नियम हो।

(2) ऐसा अधिकारक भणपोषण भत्ता, जिसका ऐसे अधिकारण द्वारा आदेश दिया जाए, वह दोगा, जो तात्प सरकार द्वारा विहित किया जाए और जो इस एजर रुपए प्रति मास से अधिक नहीं होता।

10. (1) भणपोषण के लिए किसी तथ्य के दुर्घटनेन या भूल के या धारा 5 के अधीन नासिक भत्ता भत्ते भूल करने वाले किसी व्यक्ति की जाथका भणपोषण के लिए भासिक भत्ते का संदाय करने के लिए उस धारा के अधीन आदेशित व्यक्ति की परिस्थितियों में परिवर्तन पर, अधिकारण भणपोषण के भत्ते में ऐसा परिवर्तन कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहाँ, अधिकारण को यह प्रतीत होता है कि किसी सदृश्य सिद्धित न्यायालय के किसी विनियमचय के परिणामस्वरूप धारा 9 के अधीन किए गए किसी आदेश को रद् या परिवर्तित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार, याचास्थिति, उस आदेश को रद् या परिवर्तित कर सकेगा।

11. (1) भणपोषण के आदेश और कारबाहियों के अन्यों के संबंध में अदेश की ग्राही, याचास्थिति, उस भणपोषण के वरिष्ठ नागरिक या माला-पिता को, जिसके पश्च में वह आदेश किया गया है किसी फीस के संदाय के बिना दी जाएगी और ऐसा आदेश किसी अधिकारण द्वारा ऐसे किसी स्थान पर, जहाँ वह व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध वह आदेश किया गया है, पक्षकारों की पहचान और याचास्थिति, शोध भत्ते, या व्यय के असंदाय के बारे में उस अधिकारण का समाधान हो जाने पर प्रवृत्त किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए भणपोषण के आदेश का वही बल और प्रभाव होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन पारित आदेश का होता है और वह उस सहित द्वारा ऐसे आदेश के नियादान के लिए विहित रूप में नियमित किया जाएगा।

12. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 9 में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ कोई वरिष्ठ नागरिक या करियर भासली में भाला-पिता उसका अधीन भणपोषण के लिए इकायार है और इस अधिनियम के अधीन भणपोषण के लिए भी एकायार है, वह उस संहिता के अध्याय 9 के उपर्योगी पर प्रतिकूल प्रधाव डाले जिना, उन दोनों अधिनियमों में से किसी के अधीन ऐसे भणपोषण का दाता कर सकेग, किन्तु दोनों के अधीन नहीं।

13. यह इस अध्याय के अधीन कोई आदेश किया जाता है तब ऐसा बालक या नालेदार, जिससे ऐसे भणपोषण की तारीख से तो सिविल को भीत आदेशित संपूर्ण रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अधिकारण द्वारा सुनाए जाने की रकम का जमा किया जाना, अनुकूल फ्रिप्राइवेट द्वारा भणपोषण के अधीन भणपोषण का अधीन भणपोषण का कोई आदेश करता है, वहाँ ऐसा जहाँ कोई याचास्थिति के अनुसार किसी रकम का संदाय करना अपेक्षित है, अधिकारण द्वारा सुनाए जाने की रकम का जमा किया जाना।

14. जहाँ कोई अधिकारण इस अधिनियम के अधीन भणपोषण का कोई आदेश करता है, वहाँ ऐसा जहाँ कोई याचास्थिति के अनुसार किसी रकम के अधीन भणपोषण को अतिरिक्त, ऐसी दर पर और ऐसी तारीख से, जो अनुकूल फ्रिप्राइवेट करने की तारीख से पूर्व की तारीख न हो और जो अधिकारण द्वारा अवधारित की जाए, साथारण व्याज का जाता है वही ज्ञान का अधिनियम।

परंतु जहाँ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्या 9 के अधीन भणपोषण के लिए कोई आवेदन इस अधिनियम के प्रारंभ पर किसी न्यायालय के समझ लीजियत है, यहाँ न्यायालय माला-पिता के अनुरोध पर ऐसे आवेदन को वापस लेने के लिए अनुज्ञात करेगा और ऐसे माला-पिता अधिकारण के समक्ष भणपोषण के लिए आवेदन फाइल करने के एकदार होंगे।

15. (1) यज्ञ सरकार, राजपत्र में अधिकरण द्वारा अधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक अपील अधिकरण का गठन कर सकता है।

(2) अपील अधिकरण का अध्यक्ष ऐसा अधिकारी होगा, जो जिला मणिस्ट्रेट की पीक्स से नीचे का न हो।

16. (1) अधिकरण के फिर्सी आदेश द्वारा व्यापित, स्थानियि, कोई वारिष्ठ नागरिक या कोई माला-पिता अपील की तारीख से ताड़ दिन के गोतर अपील अधिकरण को अपील कर सकता है :

अपील यह यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के प्रवचार अपील परंतु यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण के अपेक्षा की गई है, ऐसे माला-पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदर्भ किसी रकम का संदर्भ किए जाने की अपेक्षा की गई है, ऐसे माला-पिता को इस प्रकार आदेशित रकम का संदर्भ अपील अधिकरण द्वारा निवारित होता से करता रहेगा :

परंतु यह और कि अपील अधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के प्रवचार अपील प्रारुद्ध कर सकता है।

(2) अपील की प्राप्ति पर, प्रत्यार्थी पर सूचना की ताबीत करता है।

(3) अपील अधिकरण उस अधिकरण से, जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जाती है, कार्यालयों का अधिकार भंगा सकता है।

(4) अपील अधिकरण, अपील और माला-गर अधिकारी को परिष्कार करने के प्रवचार या तो अपील को मंजूर कर सकता या खारिज कर सकता।

(5) अपील अधिकरण, अधिकरण के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील का व्यायनियन और विनाशक्य कोरता तथा अपील अधिकरण का आदेश अंतिम होगा:

परंतु कोई अपील तक तक खारिज नहीं की जाएगी, जब तक कि दोनों पक्षकारों को वैयक्तिक रूप से या सम्बन्ध रूप से ग्राफिक्यूट प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर न दे दिया जाया हो।

(6) अपील अधिकरण अपना आदेश अपील की प्राप्ति के एक मास के भीतर लिखित में सुनाने का प्रयास करेगा।

(7) उपराय (5) के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक-एक प्रति दोनों पक्षकारों को निःशुल्क भेजी जाएगी।

17. किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण या अपील-अधिकरण के समझ कार्यवाही के किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी विधि व्यवसायी हारा नहीं किया जाएगा।

भरपुरोष
अधिकारी :

18. (1) यज्ञ सरकार, जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला समाज कल्याण अधिकारी की पांचत से अन्युन पंक्त के किसी अधिकारी को, चाहे वह किसी नाम से जात हो, भाग्योषण अधिकारी के रूप में पदाधिक होते हैं।

(2) उपराय (1) में निर्दिष्ट भरपुरोष अधिकरण किसी विधि व्यवसायी हारा नहीं किया जाएगा।

स्थानियि
अधिकरण :

19. (1) यज्ञ सरकार, ऐसी पहुंच के भीतर के स्थानी पर, चरणबद्ध रोति में, उसने चुदाशम स्थानियि करोगी और उनका अनुदृष्ट बनाएगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे और आधें में प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक ऐसे चुदाशम को स्थापना करेगी, जिसमें न्यूट्रिट एक नींव पकाने ऐसे वारिष्ठ नागरिकों को आवास सुविधा हो जा सके, जो निर्धन हैं।

(2) यज्ञ सरकार, चुदाशमों के प्रबंध की एक स्कॉर्म चिह्नित करेगा, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानदंड और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं, जो ऐसे आश्रमों के निवासियों को विकासीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हैं।

समर्थकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "निर्धन" से कोई दूसरा वारिष्ठ नागरिक अधिभेद है, जिसके पास समय के भरणपूर्ण करने के लिए उन्ने पर्याप्त साधन नहीं हैं, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर अवधारित किए जाएं।

अध्याय 4

वारिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय देखरेख के लिए उपचेद

20. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि—
वारिष्ठ नागरिकों के लिए उपचेद

(i) सरकारी अस्पताल या सरकारी द्वाय पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित अस्पताल, सभी वारिष्ठ नागरिकों को, यथासंभव, विस्तर प्रदान करेंगे;

(ii) वारिष्ठ नागरिकों के लिए प्रथम पंचियों को व्यवस्था की जाएगी;

(iii) चिकित्सा और जानलेचा और छाती धोनो के उपचार के लिए सुधाराएं वारिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित की जाएं;

(iv) चिकित्सा युद्धावस्था के दोगों और चुदायावस्था के संबंध में अनुसंधान क्रियाकलापों का विस्तर किया जाए;

(v) अधिकित्सीय देखरेख में अनुभव रखने वाले चिकित्सा अधिकारी की अव्यक्षता वाले प्रत्येक जिला अस्पताल में चराचिकित्सा के धोगों के लिए निर्दिष्ट सुविधाएं निश्चुल्क दी जाएं।

अध्याय 5

वारिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की संरक्षा

21. राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपच करेगी कि—

(i) इस अधिनियम के उपचंदों का जननायम, जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और मुद्रण प्रचार, जागरूकान, आदि के राष्ट्र।

(ii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत प्रतिसं अधिकारी मात्र ही है, से नियन्त्रित अंतरालों पर व्यापक प्रचार किया जाए;

(iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंधित मुद्दों पर समय-समय पर सुग्रही और जागरूक होने का प्रशंसक दिया जाए।

(iv) वारिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए विधि, गृह, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंद्ध मन्त्रालयों या विभागों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बीच प्रभावी सम्बन्ध और उनका कालिक प्रतिवेलोकन किया जाए।

22. (1) राज्य सरकार, फिरी जिला माजिस्ट्रेट को ऐसी शाकित्यों प्रदत्त कर सकती और उस पर ऐसे प्राधिकारी, जिन्हें कठबैज्ञ अधिसेप्त कर सकती, जो इस अधिनियम के उपचंदों का उचित रूप से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, और जिला माजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ ऐसे अधिकारी को, जो इस प्रकार प्रदत्त या किसी कानूनिक नाम से विनियोग और अधिशेषित सभी या किसी कर्तव्य का पालन करेगा और वे स्थानीय सीमाएं विनियोगित कर सकेंगा, जिनके भीतर ऐसी शाकित्यों या कठबैज्ञों का, जो विहित किए जाएं, उस अधिकारी द्वारा पालन किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, वारिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को दूरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेगी।

23. (1) जहां कोई वारिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के आंतर्गत अपनी संपत्ति का दान के कलियपरिवहियों रूप में या अन्यथा अंतरण इस भार के अधीन रहते हुए किया है किंविंती, अंतरक को चुनियांदी सुख-सुविधाएं और ने संपत्ति के अंतरण का रावै होना। चुनियांदी भारिक अवश्यकताएं प्रदान करेंगा और ऐसा अंतरिती ऐसी सुख-सुविधाओं तथा भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने से इंकार करेगा या असकल रहेंगे तो संपत्ति का दबक्ता अंतरण कराएं कराएं या प्रपीड़न या अनावश्यक प्रभाव के अपीड़न किया गया रामझां जाएगा।

(2) उहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक को किसी संपदा से भरणपेश प्राप्त करने का अधिकार है और ऐसी संपदा या उम्मेदों भाग अंतरित कर दिया जाता है, यदि अंतिरी को उस अधिकार की जानकारी है या, यदि उत्तरण बिना प्रतिफल के हो तो भरणपेश प्राप्त करने का अधिकार अंतिरी के विलुप्त प्रबृत्त किया जा सकता; न कि उस अंतिरी के विलुप्त जो प्रतिफल के लिए है और जिसके पास अधिकार की मूलता नहीं है।

(3) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन अधिकार को प्रवर्तित करने में असमर्थ है तो धारा 5 की उपधारा (1) के सार्वत्रिकांग में निर्दिष्ट किसी संठान द्वाया उसकी ओर से कारबाही को जा सकती।

अध्याय 6

अपराध और विचारण के लिए प्रक्रिया

वरिष्ठ नागरिकों को अधिकारित छोड़ना और मैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परिवार करने के आशय से छोड़देगा, वह ऐसी अवधि के किसी कारबाह से, उम्मेदों का प्रतिवापन।

अपराधों का संरक्षण।

24. जो कोई, जिसके पास वरिष्ठ नागरिक की देखरेख या सुरक्षा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिक को, किसी स्थान में, ऐसे वरिष्ठ नागरिक का पूर्णतया परिवार करने के आशय से छोड़देगा, वह ऐसी अवधि के किसी कारबाह से, जो तीन यास तक की हो सकती या जमीनी से, जो मांच हजार रुपए तक का हो सकता, या दोनों से, देहनीय होगा।

25. (1) देह प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक - 1974 का 2 अपराध संदेश और जमानतीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपाराध का किसी मार्जिस्ट्रेट द्वाया संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

अध्याय 7

प्रक्रिया

अधिकारीयों का कर्मचारिवृन्द को, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के, अर्थात्तार्त लोक सेवक समझा जाएगा।

26. इस अधिनियम के अंधीन कृत्यों को प्रयोग करने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी या लोक सेवक होना।

सिविल न्यायालय कोई उपर्युक्त होता है और किसी मामले में अधिकारिता नहीं होगी, जिसे इस अधिनियम का कोई उपर्युक्त होता है और किसी सिविल न्यायालय द्वाया ऐसी किसी बात की बाबत, जो इस अधिनियम द्वाया या उसके अधीन की गई है या किए जाने के लिए आवश्यक है, कोई आवश्यक नहीं दिया जाएगा।

सद्व्यवहार की या कोई जाने के लिए आवश्यक होता है या आदेशों के अनुसार में सद्व्यवहारक की गई कोई कारबाह के केन्द्रीय सरकार, या उस सरकारी या स्थानीय प्राधिकारी या उस सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी।

27. कोई उपर्युक्त होता है या आवश्यक होता है या अधिनियम के उपर्युक्त से असंगत न हो, ऐसे उपर्युक्त बना सकेगी।

कारिगरों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक होता है या उसी अधिनियम के उपर्युक्त से असंगत न हो, ऐसे उपर्युक्त बना सकेगी।

28. यदि इस अधिनियम के उपर्युक्त को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो याच सरकार राज्यपत्र में प्रकाशित रहे अतेश द्वाया, जो इस अधिनियम के उपर्युक्त से असंगत न हो, ऐसे उपर्युक्त बना सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के आवश्यकीय की तरीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा।

29. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपर्युक्त का निष्पादन करने के बारे में किसी याच सरकार को निवेदा की केन्द्रीय सरकार की शक्ति। निवेदा हो सकती।

30. केन्द्रीय सरकार याच सरकार के उपर्युक्त का निष्पादन करने के बारे में किसी याच सरकार को नियम रामने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

31. केन्द्रीय सरकार याच सरकार के उपर्युक्त का नियम रामने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

32. (1) याच सरकार, प्रजपत्र में अधिसूचना द्वाया, इस अधिनियम के उपर्युक्त के कारबाह्यन की प्रगति का कालिक नियम रामने की लिए नियम बना सकेगी।

(2) याच सरकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव द्वाये जाने, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपर्युक्त कर सकते।

(क) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन विहित किए जाएं, धारा 5 के अधीन जांच करने की रीति;

(ख) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन अन्य प्रयोजनों के लिए अधिकरण की शक्ति और प्रक्रिया;

(ग) अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा आदेशित किया जाए;

(घ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन चृद्धाश्रम के प्रबंध के लिए स्कीम, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के मानक और विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी हैं, जो ऐसे आश्रमों के निवासियों की चिकित्सीय देखरेख और मनोरंजन के साधनों के लिए आवश्यक हैं;

(ङ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(च) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कार्य योजना;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां वह दो सदनों से मिलकर बना है या जहां ऐसे विधान-मंडल में एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष, रखा जाएगा।

राष्ट्रपति ने दि मैन्टेनेंस एंड वैलफेर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट, 2007 के उपरोक्त हिन्दी अनुवाद को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है।

The above translation in Hindi of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 has been authorised by the President to be published in the Official Gazette under clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963.

सचिव, भारत सरकार।
Secretary to the Government of India.

“बिजनेस फोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक ‘छत्तीसगढ़/दुग्ध/—
तक. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 343]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 सितम्बर 2008—आश्विन 4, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2008

अधिसूचना

क्रमांक 9215/डी. 245/21-अ/प्रा./छ.ग./08.—माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (केन्द्रीय अधिनियम 2007 का सं. 56) की धारा 1 की उपधारा (3)-द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 26 सितम्बर, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काठिया, उप-सचिव.

Raipur, the 25th September 2008

NOTIFICATION

क्रमांक 9215/डी. 245/21-अ/प्रा./छ.ग./08.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Central Act No. 56 of 2007), the State Government hereby, appoints the 26th September, 2008 as the date on which the said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
UMESH KUMAR KATIYA, Deputy. Secretary.

**THE MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND
SENIOR CITIZENS ACT, 2007**

29th December, 2007

An Act to provide for more effective provisions for the maintenance and welfare of parents and senior citizens guaranteed and recognised under the Constitution and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Fifty- eighth Year of the Republic of India as follows :-

Notes

Statement of Objects and Reasons.— Traditional norms and values of the Indian society laid stress on providing care for the elderly. However, due to withering of the joint family system, a large number of elderly are not being looked after by their family. Consequently, many older persons, particularly widowed women are now forced to spend their twilight years all alone and are exposed to emotional neglect and to lack of physical and financial support. This clearly reveals that ageing has become a major social challenge and there is a need to give more attention to the care and protection for the older persons. Though the parents can claim maintenance under the Code of Criminal Procedure, 1973, the procedure is both time consuming as well as expensive. Hence, there is need to have simple, inexpensive and speedy provisions to claim maintenance for parents.

2. The Bill proposes to cast an obligation on the persons who inherit the property of their aged relatives to maintain such aged relatives and also proposes to make provisions for setting up oldage homes for providing maintenance to the indigent older persons.

The Bill further proposes to provide better medical facilities to the senior citizens and provisions for protection of their life and property.

3. The Bill, therefore, proposes to provide for—

- (a) appropriate mechanism to be set up to provide need-based maintenance to the parents and senior citizens ;
- (b) providing better medical facilities to senior citizens ;
- (c) for institutionalization of a suitable mechanism for protection of life and property of older persons ;
- (d) setting up of oldage homes in every district.

4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

CHAPTER I

Preliminary

1. **Short title, extent, application and commencement.**— (1) This Act may be called the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007.

- (2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir and it applies also to citizens of India outside India.
- (3) It shall come into force in a State on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Definitions.**— In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “children” includes son, daughter, grandson and grand-daughter but does not include a minor;
- (b) “maintenance” includes provision for food, clothing, residence and medical attendance and treatment;
- (c) “minor” means a person who, under the provisions of the Majority Act, 1875 (9 of 1875) is deemed not to have attained the age of majority;
- (d) “parent” means father or mother whether biological adoptive or step father or step mother, as the case may be, whether or not the father or the mother is a senior citizen;
- (e) “prescribed” means prescribed by rules made by the State Government under this Act;
- (f) “property” means property of any kind whether movable or immovable, ancestral or self acquired tangible or intangible and includes rights or interests in such property;
- (g) “relative” means any legal heir of the childless senior citizen who is not a minor and is in possession of or would inherit his property after his death;
- (h) “senior citizen” means any person being a citizen of India, who has attained the age of sixty years or above;
- (i) “State Government” in relation to a Union territory, means the administrator thereof appointed under article 239 of the Constitution;
- (j) “tribunal” means the Maintenance Tribunal constituted under section 7;
- (k) “welfare” means provision for food, health care, recreation centres and other amenities necessary for the senior citizens;

3. **Act to have overriding effect.**— The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than this Act, or in any instrument having effect by virtue of any enactment other than this Act.

CHAPTER II

Maintenance of Parents and Senior Citizens

4. **Maintenance of parents and senior citizens.**— (1) A senior citizen including parent who is unable to maintain himself from his own earning or out of the property owned by him, shall be entitled to make an application under section 5 in the case of—

- (i) parent or grand-parent, against one or more of his children not being a minor ;
- (ii) a childless senior citizen, against such of his relative referred to in clause (g) of section 2.
- (2) The obligation of the children or relative, as the case may be, to maintain a senior citizen extends to the needs of such citizen so that senior citizen may lead a normal life.
- (3) The obligation of the children to maintain his or her parent extends to the needs of such parent either father or mother or both, as the case may be, so that such parent may lead a normal life.
- (4) Any person being a relative of a senior citizen and having sufficient means shall maintain such senior citizen provided he is in possession of the property of such senior citizen or he would inherit the property of such senior citizen :

Provided that where more than one relatives are entitled to inherit the property of a senior citizen, the maintenance shall be payable by such relative in the proportion in which they would inherit his property.

5. **Application for maintenance.**—(1) An application for maintenance under section 4, may be made—

- (a) by a senior citizen or a parent, as the case may be ; or
- (b) if he is incapable, by any other person or organisation authorised by him ; or
- (c) the Tribunal may take cognizance *suo motu*.

Explanation.—For the purposes of this section “organisation” means any voluntary association registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), or any other law for the time being in force.

- (2) The Tribunal may, during the pendency of the proceeding regarding monthly allowance for the maintenance under this section, order such children or relative to make a monthly allowance for the interim maintenance of such senior citizen including parent and to pay the same to such senior citizen including parent as the Tribunal may from time to time direct.
- (3) On receipt of an application for maintenance under sub-section (1), after giving notice of the application to the children or relative and after giving the parties an opportunity of being heard, hold an inquiry for determining the amount of maintenance.
- (4) An application filed under sub-section (2) for the monthly allowance for the maintenance and expenses for proceeding shall be disposed of within ninety days from the date of the service of notice of the application to such person :

Provided that the Tribunal may extend the said period, once for a maximum period of thirty days in exceptional circumstance for reasons to be recorded in writing.

- (5) An application for maintenance under sub-section (1) may be filed against one or more persons :

Provided that such children or relative may implead the other person liable to maintain parent in the application for maintenance.

- (6) Where a maintenance order was made against more than one person, the death of one of them does not affect the liability of others to continue paying maintenance.
- (7) Any such allowance for the maintenance and expenses for proceeding shall be payable from the date of the order, or, if so ordered, from the date of the application for maintenance or expenses or proceeding, as the case may be.

(8) If, children or relative so ordered fail, without sufficient cause to comply with the order, any such Tribunal may, for every breach of the order, issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines, and may sentence such person for the whole, or any part of each month's allowance for the maintenance and expenses of proceeding, as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrants, to imprisonment for a term which may extend to one month or until payment if sooner made whichever is earlier :

Provided that no warrant shall be issued for the recovery of any amount due under this section unless application be made to the Tribunal to levy such amount within a period of three months from the date on which it became due.

6. **Jurisdiction and procedure.** — (1) The proceedings under section 5 may be taken against any children or relative in any district—

- (a) where he resides or last resided ; or
- (b) where children or relative resides.

(2) On receipt of the application under section 5, the Tribunal shall issue a process for procuring the presence of children or relative against whom the application is filed.

(3) For securing the attendance of children or relative the Tribunal shall have the power of a Judicial Magistrate of first class as provided under the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(4) All evidence to such proceedings shall be taken in the presence of the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, and shall be recorded in the manner prescribed for summons cases :

Provided that if the Tribunal is satisfied that the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made is wilfully avoiding service, or wilfully neglecting to attend the Tribunal, the Tribunal may proceed to hear and determine the case exparte.

(5) Where the children or relative is residing out of India, the summons shall be served by the Tribunal through such authority, as the Central Government may by notification in the official Gazette, specify in this behalf.

(6) The Tribunal before hearing an application under section 5 may, refer the same to a Conciliation Officer and such Conciliation Officer shall submit his findings within one month and if amicable settlement has been arrived at, the Tribunal shall pass an order to that effect.

Explanation.— For the purposes of this sub-section "Conciliation Officer" means any person or representative of an organisation referred to in Explanation to sub-section (1) of section 5 or the Maintenance Officers designated by the State Government under sub-section (1) of section 18 or any other person nominated by the Tribunal for this purpose.

7. **Constitution of Maintenance Tribunal.** — (1) The State Government shall within a period of six months from the date of the commencement of this Act, by notification in the Official Gazette, constitute for each Sub-division one or more Tribunals as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating and deciding upon the order for maintenance under section 5.

(2) The Tribunal shall be presided over by an officer not below the rank of Sub-Divisional Officer of a State.

(3) Where two or more Tribunals are constituted for any area, the State Government may, by general or special order, regulate the distribution of business among them.

8. **Summary procedure in case of inquiry.** — (1) In holding any inquiry under section 5, the Tribunal may, subject to any rules that may be prescribed by the State Government in this behalf, follow such summary procedure as it deems fit.

(2) The Tribunal shall have all the powers of a Civil Court for the purpose of taking evidence on oath and of enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purposes as may be prescribed ; and the Tribunal shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and Chapter XXVI of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(3) Subject to any rule that may be made in this behalf, the Tribunal may, for the purpose of adjudicating and deciding upon any claim for maintenance, choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to the inquiry to assist it in holding the inquiry.

9. **Order for maintenance.** — (1) If children or relatives, as the case may be, neglect or refuse to maintain a senior citizen being unable to maintain himself, the Tribunal may, on being satisfied of such neglect or refusal, order such children or relatives to make a monthly allowance at such monthly rate for the maintenance of such senior citizen, as the Tribunal may deem fit and to pay the same to such senior citizen as the Tribunal may, from time to time, direct.

(2) The maximum maintenance allowance which may be ordered by such Tribunal shall be such as may be prescribed by the State Government which shall not exceed ten thousand rupees per month.

10. **Alteration in allowance.** — (1) On proof of misrepresentation or mistake of fact or a change in the circumstances of any person, receiving a monthly allowance under section 9, for the maintenance ordered under that section to pay a monthly allowance for the maintenance, the Tribunal may make such alteration, as it thinks fit, in the allowance for the maintenance.

(2) Where it appears to the Tribunal that, in consequence of any decision of a competent Civil Court, any order made under section 9 should be cancelled or varied, it shall cancel the order or, as the case may be, vary the same accordingly.

11. **Enforcement of order of maintenance.** — (1) A copy of the order of maintenance and including the order regarding expenses of proceedings, as the case may be, shall be given without payment of any fee to the senior citizen or to parent, as the case may be, in whose favour it is made and such order may be enforced by any Tribunal in any place where the person against whom it is made, such Tribunal on being satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowance, or as the case may be, expenses, due.

(2) A maintenance order made under this Act shall have the same force and effect as an order passed under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and shall be executed in the manner prescribed for the execution of such order by that Code.

12. **Option regarding maintenance in certain cases.** — Notwithstanding anything contained in Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), where a senior citizen or a parent is entitled for maintenance under the said Chapter and also entitled for maintenance under this Act may, without prejudice to the provisions of Chapter IX of the said Code, claim such maintenance under either of those Acts but not under both.

13. **Deposit of maintenance amount.** — When an order is made under this Chapter, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such order shall, within thirty days of the date of announcing the order by the Tribunal, deposit the entire amount ordered in such manner as the Tribunal may direct.

14. **Award of interest where any claim is allowed.** — Where any Tribunal makes an order for maintenance made under this Act, such Tribunal may direct that in addition to the amount of maintenance, simple interest shall also be paid at such rate and from such date not earlier than the date of making the application as may be determined by the Tribunal which shall not be less than five per cent, and not more than eighteen per cent :

Provided that where any application for maintenance under Chapter IX of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) is pending before a Court at the commencement of this Act, then the Court shall allow the withdrawal of such application on the request of the parent and such parent shall be entitled to file an application for maintenance before the Tribunal.

15. **Constitution of Appellate Tribunal.** — (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette constitute one Appellate Tribunal for each district to hear the appeal against the order of the Tribunal.

(2) The Appellate Tribunal shall be presided over by an officer not below the rank of District Magistrate.

16. **Appeals** .— (1) Any senior citizen or a parent, as the case may be aggrieved by an order of a Tribunal may, within sixty days from the date of the order, prefer an appeal to the Appellate Tribunal :

Provided that on appeal, the children or relative who is required to pay any amount in terms of such maintenance order shall continue to pay to such parent the amount so ordered, in the manner directed by the Appellate Tribunal :

Provided further that the Appellate Tribunal may, entertain the appeal after the expiry of the said period of sixty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal in time.

- (2) On receipt of an appeal, the Appellate Tribunal shall, cause a notice to be served upon the respondent.
- (3) The Appellate Tribunal may call for the record of proceedings from the Tribunal against whose order the appeal is preferred.
- (4) The Appellate Tribunal may, after examining the appeal and the records called for either allow or reject the appeal.
- (5) The Appellate Tribunal shall adjudicate and decide upon the appeal filed against the order of the Tribunal and the order of the Appellate Tribunal shall be final :

Provided that no appeal shall be rejected unless an opportunity has been given to both the parties of being heard in person or through a duly authorised representative.

- (6) The Appellate Tribunal shall make an endeavour to pronounce its order in writing within one month of the receipt of an appeal.
- (7) A copy of every order made under sub-section (5) shall be sent to both the parties free of cost.

17. **Right to legal representation** .— Notwithstanding anything contained in any law, no party to a proceeding before a Tribunal or Appellate Tribunal shall be represented by a legal practitioner.

18. **Maintenance Officer** .— (1) The State Government shall designate the District Social Welfare Officer or an officer not below the rank of a District Social Welfare Officer, by whatever name called as Maintenance Officer.

(2) The Maintenance Officer referred to in sub-section (1), shall represent a parent if he so desires, during the proceedings of the Tribunal, or the Appellate Tribunal, as the case may be.

CHAPTER III

Establishment of Oldage Homes

19. **Establishment of oldage homes** .— (1) The State Government may establish and maintain such number of oldage homes at accessible places, as it may deem necessary, in a phased manner, beginning with at least one in each district to accommodate in such homes a minimum of one hundred fifty senior citizens who are indigent.

(2) The State Government may, prescribe a scheme for management of oldage homes, including the standards and various types of services to be provided by them which are necessary for medical care and means of entertainment to the inhabitants of such homes.

Explanation.— For the purposes of this section, "indigent" means any senior citizen who is not having sufficient means, as determined by the State Government, from time to time, to maintain himself.

CHAPTER IV

Provisions for Medical care of senior citizen

20. **Medical support for senior citizens.** — The State Government shall ensure that,—

- (i) the Government hospitals or hospitals funded fully or partially by the Government shall provide beds for all senior citizens as far as possible ;
- (ii) separate queues be arranged for senior citizens ;
- (iii) facility for treatment of chronic, terminal and degenerative diseases is expanded for senior citizens ;
- (iv) research activities for chronic elderly diseases and ageing is expanded ;
- (v) there are earmarked facilities for geriatric patients in every district hospital duly headed by a medical officer with experience in geriatric care.

CHAPTER V

Protection of life and property of senior citizen

21. **Measures for publicity, awareness, etc., for welfare of senior citizens.** — The State Government shall, take all measures to ensure that,—

- (i) the provisions of this Act are given wide publicity through public media including the television, radio and the print at regular intervals ;
- (ii) the Central Government and State Government Officers, including the police officers and the members of the judicial service, are given periodic sensitization and awareness training on the issues relating to this Act ;
- (iii) effective co-ordination between the services provided by the concerned Ministries or Departments dealing with law, home affairs, health and welfare, to address the issues relating to the welfare of the senior citizens and periodical review of the same is conducted.

22. **Authorities who may be specified for implementing the provisions of this Act.** — (1) The State Government may, confer such powers and impose such duties on a District Magistrate as may be necessary, to ensure that the provisions of this Act are properly carried out and the District Magistrate may specify the officer, subordinate to him, who shall exercise all or any of the powers, and perform all or any of the duties, so conferred or imposed and the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officer as may be prescribed.

- (2) The State Government shall prescribe a comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens.

23. **Transfer of property to be void in certain circumstances.** — (1) Where any senior citizen who, after the commencement of this Act, has transferred by way of gift or otherwise, his property, subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferer and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence and shall at the option of the transferor be declared void by the Tribunal.

- (2) Where any senior citizen has a right to receive maintenance out of an estate and such estate or part thereof is transferred, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has notice of the right, or if the transfer is gratuitous; but not against the transferee for consideration and without notice of right.
- (3) If, any senior citizen is incapable of enforcing the rights under sub-sections (1) and (2), action may be taken on his behalf by any of the organisation referred to in Explanation to sub-section (1) of section 5.

CHAPTER VI

Offences and Procedure for trial

24. **Exposure and abandonment of senior citizen.** — Whoever, having the care or protection of senior citizen leaves, such senior citizen in any place with the intention of wholly abandoning such senior citizen, shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or fine which may extend to five thousand rupees or with both.

25. **Cognizance of offences.** — (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), every offence under this Act shall be cognizable and bailable.

(2) An offence under this Act shall be tried summarily by a Magistrate.

CHAPTER VII

Miscellaneous

26. **Officers to be public servants.** — Every officer or staff appointed to exercise functions under this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

27. **Jurisdiction of civil courts barred.** — No Civil Court shall have jurisdiction in respect of any matter to which any provision of this Act applies and no injunction shall be granted by any Civil Court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this Act.

28. **Protection of action taken in good faith.** — No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government, the State Governments or the local authority or any officer of the Government in respect of anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of this Act and any rules or orders made thereunder.

29. **Power to remove difficulties.** — If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

30. **Power of Central Government to give directions.** — The Central Government may give directions to State Governments as to the carrying into execution of the provisions of this Act.

31. **Power of Central Government to review.** — The Central Government may make periodic review and monitor the progress of the implementation of the provisions of this Act by the State Governments.

32. **Power of State Government to make rules.** — (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for—

- (a) the manner of holding inquiry under section 5 subject to such rules as may be prescribed under sub-section (1) of section 8 ;
- (b) the power and procedure of the Tribunal for other purposes under sub-section (2) of section 8 ;
- (c) the maximum maintenance allowance which may be ordered by the Tribunal under sub-section (2) of section 9 ;
- (d) the scheme for management of oldage homes, including the standards and various types of services to be provided by them which are necessary for medical care and means of entertainment to the inhabitants of such homes under sub-section (2) of section 19 ;
- (e) the powers and duties of the authorities for implementing the provisions of this Act, under sub-section (1) of section 22 ;
- (f) a comprehensive action plan for providing protection of life and property of senior citizens under sub-section (2) of section 22 ;
- (g) any other matter which is to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of State Legislature ; where it consists of two Houses or where such legislature consists of one House, before that House.